आदेश या कार्यवाही की तारीख व नम्बर	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
12.11.25	पत्रावली पेश हुई।	

प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थी संख्या 2 की ओर से वकील श्री श्रवण जांगिड उपस्थित। विप्रार्थी संख्या 1,3 व 4 के विरूद्ध बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है।

दोनो पक्षो के विद्वान अधिवक्तओं की प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई।

विप्रार्थी अधिवक्ता की बहस है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में प्रार्थी ने पद संख्या 3 में विप्रार्थी संख्या 1 से 3 द्वारा विवादित भूमि पर कथन किया है तथा पद संख्या 4 में प्रार्थी ने विवादित भूमि पर विप्रार्थी संख्या 1 व 3 का अतिक्रमण होने के कथन किया है, प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के पद संख्या 3 व 4 विप्रार्थी संख्या 1 से 3 के कब्जे व अतिक्रमण से सम्बन्धित है। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 3 व 4 अनुसार प्रार्थी को माननीय न्यायालय सहायक कलक्टर सिवाना में रा.का.अ. की धारा 183 का वाद प्रस्तुत किया जाना चाहिए जबकि प्रार्थी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र रा.भू.अ.की धारा 111,128 के तहत पेश किया गया है लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र काबिल खारिज योग्य है।

प्रार्थी अधिवक्ता का कथन है कि विवादित भूमि पर प्रार्थी रेकडेर्ड खातेदार है तथा विप्रार्थीगण के खातेदारी भूमि प्रार्थी की खातेदारी भूमि से लगती हुई होने के कारण ही प्राथी अपनी खातेदारी भूमि की नेखमबंदी करवाना चाहता है। प्रार्थी की भूमि पर विप्रार्थी संख्या 1 व 3 का अतिक्रमण पाये जाने पर प्रार्थी द्वारा सक्षम न्यायालय में विधि अनुसार कार्यवाही की जावेगी। प्रार्थी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र प्रार्थी की खतोदारी भूमि की नेखमबंदी का ही लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विवादित भूमि की नेखमबंदी का आदेश फरमाया जावे।

हमने दोनो पक्षो के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी विवादित भूमि के रिकार्डेड खातेदार हैं और उक्त भूमि पर काबिज होकर काश्त करते आ रहे है। विप्रार्थीगण के खेत प्रार्थी की खातेदारी भूमि से लगते हुए होने से वे माठ तोड़ कर जबरन प्रार्थी की खातेदारी भूमि पर काबिज होने को उतारू रहने से प्रार्थी विवादित भूमि की नेखमबंदी करवाना चाहता है। ऐसी सूरत में विवादित भूमि की नेखमबंदी किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम सांवरडा तहसील समदडी की खसरा संख्या 623/181 रकबा [illegible] भूमि के चारों तरफ बाद पैमाईस पक्के नेखम स्थापित कर नेखमबंदी हेतु तहसीलदार समदडी को 2000/– रुपये शुल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। शुल्क प्रार्थी मौके पर अदा करे। आवश्यकता होने पर तहसीलदार समदडी को संबंधित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। तहसीलदार बाद पालना, पालना प्रतिवेदन प्रेषित करे। तहरीर जारी हो। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली की जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2025.12.31 11:55:33 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सिवाना (बालोतरा)

क्रमांकः वाचक/2025/2414 दिनांक : 13-11-2025

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
पूनमाराम पुत्र मन्शाराम		भोपाराम पुत्र मन्शाराम वगैरा

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 रा.भू.रा. अधिनियम हेतु नेखम पैमाईश जरिये पत्थर गढ़ी

राजस्व आवेदन सं. 275/2025 दिनांक :– 12.11.2025

–:: आदेश ::–

उपरोक्त अनवान प्रकरण में ग्राम सावंरडा तहसील समदडी की खसरा संख्या 623/181 रकबा 0.8094 हैक्टेयर भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबंदी करने हेतु तहसीलदार समदडी को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस रूपये 2000/–प्रार्थी मौके पर अदा करे।

उपरोक्तानुसार नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस के भीतर उपलब्ध करावें। आवश्यकता होने पर उन्हे सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस ईमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी,
सिवाना (बालोतरा)

क्रमांकः वाचक /2025/2415 दिनांक :13-11-2025

प्रतिलिपि :

1. तहसीलदार समदडी
2. थानाधिकारी पुलिस थाना समदडी
3. हल्का पटवारी सावंरडा तहसीलदार समदडी द्वारा निर्धारित की गई तिथि को मय रेकर्ड मौके पर उपस्थित रहकर नेखमबंदी कार्यवाही पूर्ण कराने हेतु।
4. प्रार्थी पुनमाराम पुत्र मन्शाराम जाति विश्नोई निासी फूलण तहसील समदडी जिला बालोतरा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा)

उपखण्ड अधिकारी,
सिवाना (बालोतरा)

Signature Not Verified

Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2025.12.31 11:55:33 IST
Reason: SelfAttested